न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 141 / 2021 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2021 / 319

1. राजकुमार पुत्र भगवानलाल जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. लेहरुलाल पुत्र भगवानलाल जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज

— प्रार्थीगण

बनाम

1. उदयराम पिता नारायण जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. मथुरालाल पिता नारायण जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. केशीबाई पत्नि प्यारा जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. बाबुलाल माता जानीबाई पुत्र घीसालाल जटिया निवासी फलासिया तह० व जिला चित्तौडगढ राज०
5. कालुराम माता जानीबाई पुत्र घीसालाल जटिया निवासी फलासिया तह० व जिला चित्तौडगढ राज०
6. लक्ष्मीबाई माता जानीबाई पुत्री घीसालाल जटिया निवासी फलासिया तह० व जिला चित्तौडगढ राज०
7. डालीबाई माता जानीबाई पुत्री घीसालाल जटिया निवासी फलासिया तह० व जिला चित्तौडगढ राज०
8. परथी बाई पुत्री प्यारा जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
9. प्रभुलाल पुत्र प्यारा जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
10. मेरुलाल पुत्र प्यारा जटिया निवासी कारुण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
11. उपपंजीयक निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ रा[illegible]
12. तहसीलदार निम्बाहेडा, जि[illegible]

— विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान [illegible]कारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :— 1— श्री नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— श्री ऋषभ सेठिया — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

:: निर्णय :: दिनांक :– 15.04.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा कारुण्डा पटवार हल्का कारुण्डा तह० निम्बाहेडा की संवत् 2077–2080 की खाता नं० 349 की आराजी नं0 1193/619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, आराजी नं0 1194/838 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, आराजी नं0 257 रकबा 0.0800 हेक्टेयर स्थित हैं। खाता नं0 23 की आराजी नं0 619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर, आराजी नं0 838 रकबा 0.0700 हेक्टेयर स्थित हैं। खाता नं० 203 की आराजी नं0 100 रकबा 1.5600 हे०, आराजी नं0 246 रकबा 0.4900 हे० लगानी 2 रुपये 45 पैसा, आराजी नं0 254 रकबा 0.4700 हे०, आराजी नं0 256 रकबा 0.1600 हे०, आराजी नं0 258 रकबा 0.0900 हे०, आराजी नं0 270 रकबा 0.3200, आराजी नं0 99 रकबा 0.0100 हे० गु०मु०चाह कुल किता 9 कुल रकबा 3.9000 हेक्टेयर स्थित हैं। आराजी नं0 618 रकबा 0.6600 हे०, आराजी नं0 837 रकबा 0.1400 हे० इसी प्रकार खाता नं0 22 की आराजी नं0 251 रकबा 0.5600 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जो प्रार्थीगण के बाप दादा के जमाने से चली आ रही है वादग्रस्त सभी आराजियात का मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के पिता व दादा के जमाने में आज से करीब 30 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से मौखिक रुप से बाहमी तौर से हिस्से अलग–अलग कर रखे है, तथा उक्त आराजियात में प्रार्थीगण के दादा प्यारा पिता देवाजी का 1/2 हिस्सा व नारायण पिता देवाजी का 1/2 हिस्सा था इसी अनुसार 30 वर्ष से अलग अलग चले आ रहे थे और पूर्व मे हुवे मौखिक बटवाडे अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार नारायणजी व प्याराजी ने पूर्व में हुवे बटवाडे को मानते हुये आपसी सहमति से सन 2001 में वादग्रस्त आराजियात का बटवाडा कर लिया और बटवारे अनुसार वादग्रस्त पुराने आराजी नं० 165 मीन जिसके नये आराजी नं0 257 रकबा 0.0800 हेक्टेयर तथा पुराने आराजी नं0 528 मीन जिसके दो टुकडे होकर जिसके नये आराजी नं0 838 रकबा 0.0700 हेक्टेयर व आराजी नं0 1194/838 रकबा 0.0800 हेक्टेयर व पुराने आराजी नं0 360 मीन जिसके दो टुकडे हुवे जिसके नये आराजी नं० 1193/619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर व आराजी नं0 619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के दादा प्यारा जी के हिस्से व बटवारे में रही थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वादग्रस्त आराजियात विपक्षी नं0 1 व 2 के पिता नारायणजी के हिस्से व बटवाडे मे दर्ज कर दी जबकि वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण का अपने दादा प्यारा जी के [illegible] जी के वारेसान के साथ लगातार, बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से [illegible] रुप से कब्जा चला आ रहा हैं, तथा विपक्षी नं० 1 व 2 के पिता [illegible] आराजी नं0 258 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, व [illegible] रकबा 0.6600 हेक्टेयर एवं आराजी नं0 837 रकबा 0.1400 हेक्टेयर भूमि रही [illegible] परन्तु राजस्व कर्मचारियों की वजह से उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा प्यारा जी के नाम पर दर्ज कर दी, जबकि उक्त आराजीयति पर विपक्षी नं0 1 व 2 का अपने पिता नारायणजी के देहान्त के बाद शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रार्थीगण ने विपक्षीगणो को मौके पर काबिज अनुसार एवं पूर्व मे हुवे मौखिक बटवारे अनुसार वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 9 व 10 के नाम सयुक्त खातेदारी में घौषित करा कर इसी अनुसार वादग्रस्त आराजीयात खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगणो को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे है और नाम पर घौषित कराने से इंकार हो गये है, तथा प्रार्थीगण व गाव के मौतबीर व्यक्तियो द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नही है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात मे मौके पर काबिज अनुसार वादग्रस्त नये आराजी नं0 257 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, नये आराजी नं0 838 रकबा 0.0700 हेक्टेयर व आराजी नं0 1194/838 रकबा 0.0800 हेक्टेयर, नये आराजी नं० 1193/619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर व आराजी नं0 619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी नं0 1 व विपक्षी नं0 2 का संयुक्त 1/3 हक हिस्सा, एवं विपक्षी नं0 9 का 1/3 हक हिस्सा, विपक्षी नं0 10 का 1/3 हक हिस्सा घौषित करा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने के अधिकारी है, तथा दिगर विपक्षी नं० 1 से 8 का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने के अधिकारी है।वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जो प्रार्थीगण के बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, तथा वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के दादा प्यारा पिता देवाजी के हिस्से व बटवारे मे रही थी, तथा पुराने बटवारे को मानते हुवे आपसी सहमति बटवारे से वादग्रस्त पुराने आराजी नं0 165 मीन जिसके नये आराजी नं0 257 रकबा 0.0800 हेक्टेयर तथा पुराने आराजी नं0 528 मीन जिसके दो टुकडे होकर जिसके नये आराजी नं० 838 रकबा 0.0700 हेक्टेयर व आराजी नं0 1194/838 रकबा 0.0800 हेक्टेयर व पुराने आराजी नं0 360 मीन जिसके दो टुकडे हुवे जिसके नये आराजी नं0 1193/619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर व आराजी नं0 619 रकबा 0.3300 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के दादा प्यारा जी के हिस्से व बटवारे में रही थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वादग्रस्त आराजियात विपक्षीनं0 1 व 2 के पिता नारायणजी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दी, जबकि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण का अपने दादा प्यारा जी के जमाने से विपक्षी नं0 9 व विपक्षी नं0 10 के साथ लगातार, बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त रुप से कब्जा चला आ रहा हैं, तथा खात सं0 203 व खाता सं० 22 की आराजियात पर प्रार्थीगण व विपक्षीगणो को मौके पर काबिज अनुसार एवं पूर्व मे हुवे मौखिक बटवारे अनुसार एवं याददाश्त समझौता पत्र अनुसार वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण खातेदारी में घौषित करा कर इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगणो को कहा तो विपक्षीगण टाल चाल कर रहे है और नाम पर घौषित कराने से इंकार हो गये हैं, तथा प्रार्थीगण व गांव के मौतबीर व्यक्तियो [illegible]गण को समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मा[illegible] प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे की आराजीयात से [illegible] करने पर आमदा हैं, तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से से भी इंकार हो [illegible] हैं, तथा प्रार्थीगण को उसके हक हिस्से की आराजियात की हकाई, जुताई, फसल बुवाई फसल लाने ले जाने में जबरन बाधा पैदा करने पर आमादा हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे सहवन से

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज हो जाने के कारण विपक्षीगण दिगर लोगो के सिखावे में आकर वादग्रस्त आराजीयात को हस्तांतरण, रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा है राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करने पर आमादा हैं। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी हैं।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 3,4,5,6,7,8,9,10 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। विपक्षी क्रमांक 11,12 प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ सेठिया ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि

I. प्रार्थीगण ने विपक्षी नं0 1 व 2 के विरुद्ध आधारहीन असत्य वाद पेश किया है जो निश्चित रुप से निरस्त होगा। आराजी नम्बर 260 में से 0.2800 हेक्टेयर आराजी मैसर्स वण्डर सीमेन्ट की लीज हेतू आराक्षीत है इसी आशय का इन्द्राज जमाबंदी मे भी अंकित हैं। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी तथा शेष विपक्षी नं0 3 ता 10 का कोई हक हिस्सा कतई नही हैं। खाता संख्या 23 की तहती आराजीयात नम्बर 245, 255, 269, 619, तथा 838 कुल किता 5 जुमला तादादी 1.1500 हेक्टेयर ग्राम कारुण्डा प०ह० कारुण्डा तह० निम्बाहेडा में स्थित है उक्त भूमि आईडीबीआई शाखा रसुलपुरा के रहन दर्ज चली आ रही हैं, जो विपक्षी नं0 2 मथुरालाल के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड हैं। जिसमें विपक्षी नं0 2 का समान हक हैं, तथा उपरोक्त आराजीयात में प्रार्थी तथा विपक्षी नं0 3 ता 10 का कोई हक हिस्सा होना कतई स्वीकार नही हैं। विपक्षी नं0 2 की खातेदारी की आराजीयात नं० 269 में से 0.1400 हेक्टेयर तथा आराजी नं0 255 में से 0.2300 हेक्टेयर आराजीयात मैसर्स वंडर सीमेन्ट की लीज हेतू आरक्षीत हैं जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित हैं। खाता संख्या 203 मौजा कारुण्डा तह० निम्बाहेडा की तहत आराजी नं0 100, 246, 254, 256, 258, 270, 218, 837 एवं 99 कुल किता 9 कुल रकबा 3.9000 हेक्टेयर ग्राम कारुण्डा में स्थित होना स्वीकार हैं जो प्रार्थीगण तथा विपक्षी नं० 3 ता 10 के खातेदारी मे दर्ज हैं। इस खाते की आराजी नम्बर 246, 254, 256, 258, 270, 837 मे से वंडर सीमेन्ट की लीज हेतु आरक्षीत हैं, जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित हैं। खाता संख्या 22 मौजा कारुण्डा तह० निम्बाहेडा की तहती आराजी नं0 251 रकबा 0.5600 हेक्टेयर ग्राम कारुण्डा में स्थित होना स्वीकार हैं जिसमे विपक्षी नं० 1 व 2 का पृथक पृथक 1/4–1/4 हक हिससा दर्ज है अर्थात विपक्षी नं0 1 व 2 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। शेष में प्रार्थीगण तथा विपक्षी नं० 3 ता 10 का हक हिस्सा दर्ज हैं। इस खाते की आराजी नं0 251 मे से भी वंडर सीमेन्ट लिमिटेड की लीज हेतु आरक्षीत हैं, जिसका अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अंकित हैं।

II. खाता संख्या 23 एवं खाता संख्या 349 की आराजीयात विपक्षी नं० 1 व 2 की तन्हा खातेदारी की हैं, जिसमें प्रार्थीगण तथा विपक्षी नं० 3 ता 10 का कोई हक हिस्सा व अधिपत्य नही हैं, खाता संख्या 203 की आराजीयात प्रार्थीगण तथ विपक्षी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नं० 3 ता 10 के खातेदारी की विभाजन अनुसार हैं, तथा खाता संख्या 22 की आराजी नम्बर 251 प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1 व 2 तथा विपक्षी नं0 3 से 10 के शामलाती खातेदारी की हैं। जिसमें विपक्षी 1 व 2 का 1/2 हिससा दर्ज रेकार्ड है तथा 1/2 हिस्से के अनुसार विपक्षी नं० 1 व 2 काबिज होकर काश्त कर रहे हैं प्रार्थीगणो का 1/24–1/24 दर्ज हैं शेष विपक्षीगण केशीबाई, जानीबाई, परथीबाई, प्रभुलाल, भेरुलाल का प्रत्येक का 1/12–1/12 हक हिस्सा हैं। देवाजी मुल पुरुष थे जिनके दो पुत्र हुवे नारायणजी व प्यारा जी, प्यारा के वारिसान प्रार्थीगण तथा विपक्षी नं0 3 से 10 हैं, तथा नारायणजी के वारिसान विपक्षी नं0 1 व 2 हैं जिनका विभाजन हो जाने से उपरोक्त वर्णित खाते के इन्द्राज विधि अनुसार दर्ज हुवे हैं।

III. आराजी नम्बर 1194/838 विपक्षी नं० 1 के नाम पर दर्ज हैं, तथा 838 विपक्षी नं0 2 के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। जो सही रुप से दर्ज हैं। आराजी नं0 1193/619 विपक्षी नं० 1 के नाम पर खातेदारी मे दर्ज हैं, तथा 619 विपक्षी नं० 2 मथुरालाल के नाम पर दर्ज हैं। जिनमे प्रार्थीगणो का तथा विपक्षी नं० 3 ता 10 का कोई हक हिस्सा व अधिपत्य होना कतई स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थीगणो का कोई कब्जा नही है प्रार्थीगणो के अभिवचन असत्य होने से कतई स्वीकार नही हैं।

IV. आराजी नं0 258, 618, 837 प्रार्थीगण तथा विपक्षी नं0 3 ता 10 के खातेदारी मे दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड मे गलत इन्द्राज होने का आक्षेप प्रार्थीगण का असत्य एवं निराधार होने से कतई स्वीकार नही हैं। विपक्षी नं० 1 व 2 का कब्जा उनकी खातेदारी की आराजीयात पर ही हैं, मात्र आराजी नं0 251 तादादी 0.5600 हे० मौजा कारुण्डा शामलाती खातेदारी की हैं जिसमे विपक्षी नं0 1 व 2 का हक हिस्सा 1/4–1/4 अर्थात 1/2 हैं। प्रार्थीगण कोई घोषणा विपक्षी नं० 1 व 2 की खातेदारी की आराजीयात के विरुद्ध अपने नाम की घोषणा प्रार्थीगण कराने के कतई अधिकारी नही हैं। प्रार्थीगण विपक्षी नं० 1 के खातेदारी की आराजीयात नं0 257, 838, 1194/838, 1193/619, 619, में कोई हक हिस्स घौषित कराने के कतई अधिकारी नही हैं। शेष कथन असत्य एवं आधारहीन अंकित किये हैं, तथा विपक्षीगण नं० 1 व 2 के विरुद्ध कोई घौषणात्मक अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हैं।

साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की

1. 2016(2) आरआरटी 904

वकील विपक्षी द्वारा निम्न नजीरे पेश की

2. 2022–23(एसयूपीपी) आरआरटी 176

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा अपनी साक्ष्य में राजस्व रेकार्ड राजस्व रेकार्ड की प्रतियां तथा शपथ पत्र पेश कियें। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी नं० 1 व 2 का कब्जा उनकी खातेदारी की आराजीयात पर ही होना बताया तथा निवेदन किया कि विभाजन मूल पुरुष देवा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नारायण एवं प्यारा में वर्ष 2001 में आपसी सहमति से विभाजन हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

था तथा खातेदारी अलग अलग हो गई थी तथा नारायण के देहान्त के बाद सहमति से नारायण के वारिसान उदयराम एवं मथरालाल के मध्य भी सहमति से विभाजन हो गया। प्रार्थीगण की और से जो राजस्व रेकार्ड पेश किया गया, उसमे विपक्षीगणो के कथनो की एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दरख्वास्त मे अंकित तथ्यो की ताईद प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से होती है।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक मे सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण को सहखातेदार होने से किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूर्णीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की शामलाति खातेदारी भूमि हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है इसलिए प्रकरण में पूर्व में दिनांक 28.10.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसे खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

—:आदेश:—

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थिगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner